न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 17/2021

मांगीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा दौसा राज0

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

...रेस्पोडेन्ट

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 17.3.2021 जो मुकदमा नंबर 41/2020 उनवानी सरकार बनाम मांगीलाल धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 26.5.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 17.03.2021 को ग्राम प्रेमपुरा तहसील दौसा के आ0ख0 न0 924 रकबा 0.05 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस् सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का भांकरी ने अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष निहायती झूंठे तथ्यों के आधार पर अपीलांट का मकान 50 वर्ष से अधिक समय से बना होने के बावजूद झूंठे आधारों पर नया अतिक्रमण बताकर और रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट ने ग्राम प्रेमपुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 924 रकबा 0.05 है0 पर पुख्ता मकान बाडा व बाथरूम बनाकर कबजा किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिय दिया गया । जवाब नोटिस में स्पष्ट बताया है कि अपीलांट का खसरा नंबर 924 गाम प्रेमपुरा में पुख्ता मकान 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपने पिता के समय से बना हुआ है। वर्तमान खसरा नंबर 924 के सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 197/1 थे। उक्त खसरा नंबर 197/1 मे से 16 बिस्वा भूमि आबादी में सन 1975 में परिवर्तित होकर नामांतरण संख्या 131 तस्दीक होकर उक्त आबादी भूमि में परिवर्तित हुई है। आबादी में परिवर्तित होकर उक्त 16 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 924 बने हुए संपूर्ण रकबे पर आबादी बसी. हुई है व मकानात बने हुए है तथा रहवास कर रहे है। अपीलांट का उक्त मकान आबादी में बना हुआ है जो 25 वर्ष से अधिक समय से बने हुए है जिसका प्रमाण यह है कि साबिक खसरा नंबर 197/1 में से 1 बीघा भूमि आबादी है जिसका अंकन खसरा पि[illegible] संवत 2028 से 2031 में हो रहा है जिसमें प्रभात्या, मूल्या, भगवान्या, [illegible] पुत्रान महादेवा की आबादी अंकित है। उक्त लोग अपीलांट के बुजुर्ग है तथा उनको [illegible] पंचायत द्वारा पट्टे [illegible] दे रखे है। उक्त आशय का अपीलांट ने जवाब [illegible] जवाब पेश करने के [illegible] दिनांक 9.2.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:44 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये बिना उक्त दस्तावेजों का अपने निर्णय में हवाला दिये बिना दिनांक 17.3.2021 को बहस सुने बिना अपीलांट को बेदखल करने एवं 23 रू0 की शास्ति के दंड से दंडित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता को सुने बिना व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को बिना देखे व निर्णय में प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का जहां मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि है एवं उक्त मकान भी 50 वर्ष से अधिक समय का बना हुआ है और अपीलांट के मकान के पास आबादी बसी हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार किये निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का भांकरी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक भांकरी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक भांकरी की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 924 रकबा 0.05है0 पर मकान बाडा व बाथरूम बनाकर कब्जा किया जाना अंकित है। उक्त अतिकमण पटवारी हल्का द्वारा नया अतिकमण रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही खसरा नंबर 924 का रकबा 1.85है0 है जिसमें से मात्र 16 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तित हुई है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पुख्ता मकान, बाडा व बाथरूम बनाकर कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुए है। अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का निर्णय में हवाला अंकित नहीं किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में [illegible] बाडा व बाथरूम बनाकर कब्जा" अतिकमण करना बताया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट की कैफियत में नया अतिकमण होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर नया अतिकमण किया गया है। अपीलांट का यह कथन [illegible] नहीं माना जा सकता है कि कि प्रश्नगत भूमि आबादी में परिवर्तित भूमि है। अतिकमी द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना अधिकार के अतिकमण कर मकान बनाकर कब्जा किया है, जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

निरंतर ....3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील सं0 17 / 2021

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:44 IST
Reason: SelfAttested